

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 482004

क्रमांक- 1048/225/आउशि/बजट/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/9/2018

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 6990 छात्र कल्याण निधि योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आबंटन।

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 6990 छात्र कल्याण निधि योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर उनके नाम के समक्ष अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-

S.No.	College	Location	District	Letter No.& Date	Allotment Amount	Segment Code No.
1	Govt College	Pushparajgarh	Anooppur	57/17.5.18	50000	0102
2	Govt College	Malajkhand	Balaghat	20/21.5.18	50000	0101
3	Govt Girls College	Dhar	Dhar	752/21.5.18	50000	0102
4	Govt College	Aron	Guna	122/17.5.18	50000	0101
5	Govt Girls College	Itarsi	Hoshangabad	71/21.5.18	49819	0101
6	Govt College	Bhikangaon	Khargone	559/21.5.18	49500	0102
7	Govt College	Kasrawad	Khargone	2512/18.5.18	46000	0102
8	Govt R V College	Manasa	Neemuch	57/17.5.18	40090	0101
9	Govt College	Obedullaganj	Raisen	142/17.5.18	50000	0101
10	Govt College	Kalukheda	Ratlam	33/19.5.18	48000	0101
11	Govt Girls College	Bina	Sagar	139/21.5.18	49510	0101
12	Govt Girls College	Sehore	Sehore	580/21.5.18	50000	0103
13	Govt College	Ghansor	Seoni	217/17.5.18	50000	0101
14	Govt. College	Beohari	Shahdol	301/16.5.18	50000	0101
15	Govt. College	Jaysinghnagar	Shahdol	207/18.5.18	49930	0103
16	Govt College	Shamshabad	Vidisha	1580/18.5.18	50000	0101
	Total				782849	

(2) उपरोक्त राशि का आबंटन उपलब्ध बजट के अनुसार अनुपातिक रूप से किया गया है।

(3) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण महाविद्यालय के समक्ष अंकित सेगमेंट कोड में निम्नलिखित बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से विकलनीय होगा :-

सेगमेंट	बजट शीर्ष
0101-उच्च शिक्षा (सामान्य)	44-2202-03-103-0101-6990-43-000
0102-आदिवासी उपयोजना (सब-स्कीम)	44-2202-03-103-0102-6990-43-000
0103-अनुसूचित जाति उपयोजना (सब-स्कीम)	44-2202-03-103-0103-6990-43-000

- (5) सामग्री कय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- (6) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जावें।
- (7) कय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
- (8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
- (9) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
- (10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
- "आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0-1049 / 225 / बजट / 2018
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-24/5/2018

1. विशेष सहायक मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश